न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर आर.ए.एस

वाद संख्या :– 52/23

1. हरमिलापसिंह
2. करनपालसिंह } पि0 जसदेवसिंह, जसविंदरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह निवासी फिरोजशाह तहसील व जिला फिरोजपुर जरिए सामान्य अधिकार पत्र रामकिशन
3. महिन्दरजीत कौर वल्द श्री दुर्गाराम पुत्र सुगनाराम सा0 खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर
4. गुरूजीतसिंह वल्द सरदारसिंह पुत्र बन्तासिंह कौम रायसिख
5. गुरूसिमरतसिंह पुत्र गुरूजीतसिंह पुत्र सरदारसिंह निवासी गटी जटां तहसील धर्मकोट जिला मोगा जरिये सामान्य अधिकार पत्र रामकिशन पुत्र श्री दुर्गाराम पुत्र श्री सुगनाराम निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–: वादी :–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

–: प्रतिवादी:–

2. हरजीन्द्र कौर
3. जसप्रीत कौर } पि0 हरमेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी फिरोजपुर तहसील व जिला फिरोजपुर
4. मनजीत कौर

–:प्रफोर्मा रेस्पोडेंटगण :–

उपस्थित :– 1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण वकील वादी
2. राज पैरोकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर

–:निर्णय :–

दिनांक :– 28 मई 2024

1. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रणजीतसिंह निर्वाण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 आपस में रिश्तेदार हैं तथा ग्राम फिरोजशाह तह0 फिरोजपुर पंजाब के वासिंदा है तथा प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 के विरूद्ध कोई किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं चाहते हैं। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 के पिता, दादा श्री प्रीतमसिंह वल्द श्री वरियामसिंह 1/5 हि0 जसदेवसिंह उर्फ जसविन्दरसिंह वल्द प्रीतमसिंह 2/5 हि0 हरमेन्द्रसिंह उर्फ हरविन्द्रसिंह वल्द प्रीतमसिंह 2/5 हि0 अनुसार वाके रोही ग्राम लुंबासर के मूल खेत खसरा नंबर 24 की कुल तादादी 143.65 बीघा खातेदारी कृषि भूमि जरिए बैयनामा खरीद की गई जिसमें बाद भूमि खरीद विधिवतरूप से उन्हें कब्जादेही की गई व अभिलेख में विधिवत रूप से अंकन किया। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज मौके पर काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। बाद भूमि खरीद वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की भूमि वाके मौका लुंबासर के मूल खसरा नंबर

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

24 की 143.65 बीघा खातेदारी भूमि में से अधीनस्थ तहसील हाजा द्वारा मीन नंबर डालकर वादीगण की कृषि भूमि का ख0न0 24/01 में 100 बीघा राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी। इसके पश्चात चक बंदी में आने पर उक्त भूमि चक 12 एलएसडी व 13 एलएसडी में पैमूद हुई और भूमि को गैर खातेदार दर्ज कर दिया। आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजों द्वारा मौरूसी खातेदार से खातेदारी कृषि भूमि खरीद की गई व अधिनस्थ तहसील हाजा द्वारा बिना वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को सूचित किए व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए मनमाने ढंग से गैर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया जिसे वादीगण दुरूस्त करवाकर पुनः अपने नाम से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के पूर्ण हकदार व अधिकारी है।

2. सर्वप्रथम वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 को जरिए सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व अभिलेख संवत 2060 के अनुसार श्री हरमिलापसिंह, करणपालसिंह, महेन्द्रजीतकौर 3/8 हि0 बहिब गुरसिमरतसिंह पुत्र नवजौतकौर, गुरजीतसिंह पत्नि नवजौतकौर पुत्री जसविन्द्रसिंह 1/8 हि0 बहिब, हरजीन्द्रकौर, जसप्रीतकौर, मनजीतकौर पि0 हरविन्द्रकौर 1/2 हि0 कौम रायसिख साकिन फिरोजपुर गैर खातेदार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त ग्राम लुंबासर संवत 2007 के खाता सं0 24 में ख0न0 24 खातेदार दर्ज है। वर्तमान में उक्त रकबा चक 12 एलएसडी के मु0न0 80/2/2 के कि0न0 3, 6ता8, 12ता20, 22ता25 में 17 बीघा कमाण्ड, मु0 न0 80/2/6 के कि0न0 11, 19ता24 में 7 बीघा कमाण्ड, चक 13 एलएसडी के मु0न0 80/2/11 के कि0न0 10ता12, 17ता25 में 12 बीघा कमाण्ड, मु0न0 80/2/7 के कि0न0 1ता20, 22ता25 में 24 बीघा कमाण्ड, मु0न0 80/2/3 के कि0न0 3ता7,15 में 6 बीघा कमाण्ड, मु0न0 80/2/8 के कि0न0 3ता6 में 4 बीघा कमाण्ड, मु0न0 80/2/12 के कि0न0 1ता19, 23ता25 में 22 बीघा कमाण्ड, मु0न0 80/2/16 के कि0न0 1,10ता12,20,21 में 6 बीघा कमाण्ड, मु0न0 61/1/9 के कि0न0 4,5 में 2 बीघा कमाण्ड कुल 100 बीघा कमाण्ड भूमि पैमूद हुई एवं उक्त भूमि वर्तमान में उक्त दोनों चकों में गैर खातेदार दर्ज है। उभय पक्ष की उपस्थिति में निम्न तनकीयात कायम किये गये

1. आया कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर ग्राम लूम्बासर के ख0न0 24 मि तादादी 100बीघा पर खरीद के वक्त से कब्जा काश्त है। वादी की कयशुदा भूमि बन्दोबस्ती खातेदारी की है।
   जिसे गलत रूप से गैर खातेदार दर्ज किया है। जिसे वादी खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है।

   :– जिम्मेवादीः–

2. आया कि वादी की उक्त वाद ग्रस्त भूमि वादी के नाम अभिलेख मे गैर खातेदार दर्ज है। और वादी की उक्त भूमि बन्दोबस्ती खातेदारी की है।

   :– जिम्मेप्रतिवादीः–

3. आया अन्य दादरसी

कायमी तनकीयात से उभय पक्ष सहमत हुआ

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

3. वकील वादी ने दौरान ए बहस कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर से जारी परिपत्र कमांक/एफ–5/सी/उपनि/92/बी–4768 दिनांक 18.05.2002 की छायाप्रति प्रस्तुत कर

न किया कि उक्त परिपत्र के पैरा सं0 4 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि 1955 के
ात के जिन गैर खातेदारों ने खातेदारी ले ली है और ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन घोषित हो
 है उनसे बतौर खातेदारी हेतु कोई राशि वसूल योग्य नहीं है। ऐसे खातेदार उपनिवेशन
त्र घोषित होने से पूर्व बतौर खातेदार विधिवत भूमि का विक्रय करा दिया है। उसके क्रेताओं
 नाम नामान्तरकरण बतौर गैर खातेदार दर्ज कर देने चाहिए क्योंकि 1955 के बाद के चाहे
 खातेदार हों उन्हें गैर खातेदार ही शुमार किया जावेगा परंतु हमारे द्वारा क्रय की गई भूमि
संवत 2007 वर्ष 1950 में ही खातेदार दर्ज थी जो 1955 से पूर्व के खातेदार है।

वादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि हमारे द्वारा क्रय की हुई भूमि संवत 2007 अर्थात वर्ष 1950 में खातेदार दर्ज अभिलेख थी एवं उपनिवेशन विभाग द्वारा अपने विभागीय परिपत्र दिनांक 18.05.2002 की पालना में ही गैर खातेदार दर्ज किए गए थे परंतु हमारे धारण की भूमि की गलत रूप से गेर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त भूमि को गैर खातेदार विभागीय परिपत्र दिनांक 18.05.2002 के विपरीत जाकर अविधिक रूप से किया गया। अतः हमारे धारण की भूमि को पुनः खातेदार दर्ज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता से विभागीय परिपत्र दिनांक 18.05.2002 की छायाप्रति ली जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

5. विद्वान वकील वादी की बहस वादी वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं ग्राम लूम्बासर की मिसल बन्दोबस्त संवत 2007 का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम लूम्बासर के ख0न0 24 तादादी 143.65 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत 2007 में खुदकाश्त के रूप में खातेदारान के रूप में दर्ज है। वादीगण के पूर्वजो ने यह भूमि मौरूसी खातेदार से सम्वत 2032 मे क्रय की थी और उक्त भूमि अभिलेख में वादीगण के पूर्वजो के नाम खातेदार दर्ज अभिलेख रही है। इससे सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी खातेदारी की भूमि है एवं उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं0 1 कोलायत द्वारा विभागीय परिपत्र 18.05.2002 के विपरीत गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर को श्री हरमिलापसिंह, करणपालसिंह, महेन्द्रजीतकौर 3/8 हि0 बहिब गुरसिमरतसिंह पुत्र नवजौतकौर, गुरजीतसिंह पत्नि नवजौतकौर पुत्री जसविन्द्रसिंह 1/8 हि0 बहिब, हरजीन्द्रकौर, जसप्रीतकौर, मनजीतकौर पि0 हरविन्द्रकौर 1/2 हि0 कौम रायसिख साकिन फिरोजपुर के धारण की भूमि चक 12 एलएसडी व 13 एलएसडी की कुल तादादी 100 बीघा भूमि को खातेदार दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

6. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 मई 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत